आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं
पीठासीन अधिकारी - श्री ओंकारमल मूण्ड (आर.टी.एस.)
मु० नं० - 3/2017

दायर दि० 15.3.17

1. रजवन्ती देवी उर्फ रजनी देवी W/o रोहिताश मेघवाल निवासी सीथल त० उदयपुरवाटी

बनाम

1. भगवानाराम
2. बजरंगलाल
3. सागरमल

- पुत्रान ध्यालाराम जाट निवासीगण - सीथल

19.2.18 **निर्णय** निर्णय दि० 19.2.18

पत्रावली पेश हुई। फरीकेन वकुलाय उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार से है कि रजवन्ती देवी उर्फ रजनी देवी W/o रोहिताश जाति मेघवाल निवासी सीथल ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम सीथल में आवेदिका एवं अनावेदकगण की खातेदारी भूमि ख०नं० 28, 60, 114, 194, 618, 631 तथा 1041 कुल ख०नं० 7 का कुल रकबा 5.7900 हैक्टर स्थित है। जिसमें आवेदिका का हिस्सा 1.11 हैक्टर है। अनावेदक संख्या 1 ने भगवानाराम ने दिनांक 21.7.2009 को उपरोक्त खातेदारी भूमि में से 0.28 हैक्टर भूमि आवेदिका को जरिये रजिस्ट्री विक्रय की थी। इसी प्रकार अनावेदक संख्या 2 बजरंगलाल ने दिनांक 20.11.2009 को अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि में से 0.28 है० भूमि जरिये रजिस्ट्री विक्रय की थी तथा अनावेदक संख्या-3 सागरमल ने दिनांक 19.7.2010 को अपनी उपरोक्त खातेदारी

(3)
तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूं

P.T.O.

आदेश	कार्यवाही विवरण
(3) तहसीलदार उदयपुरवाटी झुन्झुनूं	भूमि में 0.55 है० भूमि आवेदिका को भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की थी। इस प्रकार उपरोक्त तीनों भाईयो ने अपनी खातेदारी भूमि में से कुल 1.11 हैक्टेयर भूमि आवेदिका को विक्रय करके आवेदिका को कब्जा सम्भलाया गया था जिसके आवेदिका हर वर्ष खरीफ की फसल काश्त की है। भूमि क्रय के बाद आवेदिका अपने हिस्से की इस भूमि में काश्त करने लगी। काश्त करने बाद अनावेदकगण आवेदिका के हिस्से की भूमि की सीमा के साथ छेड़छाड़ करने लगे। तत्पश्चात आवेदिका ने बंटवारे हेतु श्रीमान उपखण्ड न्यायालय उदयपुरवाटी में बंटवारे हेतु वाद दायर कर दिया। बंटवारे के नोटिस अनावेदकगण को मिलने पर नाराज होकर धमकी दी कि हमारे ऊपर मुकदमा क्यों किया है अब हम आपको एक इंच भी भूमि नहीं देंगे। यह कह कर आवेदिका की भूमि पर कब्जा कर लिया। उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में दर्ज कृषि भूमि में आवेदिका के हिस्से की भूमि 1.11 है० भूमि पर कब्जा दिलवाया जावे। प्राप्त प्रार्थना की जांच हल्का पटवारी सीपल से करवाई गई। मुताबिक जांच अनुसार ग्राम सीपल के भूमि ख० नं० 28,60,114,194,618,631 तथा 1044 कुल किता-7 का कुल रकबा 5.79 w हे० मौके में हिस्सा 1.11 है आवेदिका

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	का है। जिस पर भगवानाराम, बजरंगलाल, सागरमल पुत्रान ग्वाला जाति जाट निवासी सीथल अवैध रूप से काबिज है। उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण रा० का० अधि० 1955 की धारा 183 "बी" के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये तलबीनोटिस अप्रार्थीगण को गई। नोटिस प्राप्ति पर अप्रार्थीगण में से बजरंगलाल जरिये एडवोकेट वीरबलसिंह का वकालतनामा पेश कर वास्ते जवाब समय चाहा। कई अवसर दिये जाने के उपरान्त अप्रार्थी वकील ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल रखा गया। प्रस्तुत जवाब पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एंव राजस्व रिकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन एंव बहसमनन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 5.6.17 का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2069-2072 के अनुसार ग्राम सीथल के ख० नं० 28, 60, 114, 194, 618, 631 एंव 1041 कुल किता 7 रकबा 5.7900 है० में से 1.11 है० भूमि आवेदिका के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। अप्रार्थीगणों ने ऐसा कोई ठोस सबूत अपने पक्ष में पेश नही किया जो किसी प्रकार से नियमित करता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगणों को कब्जे शुदा भूमि से बेदखल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	

तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूं

आदेश

आदेश

परिणामतः अप्रार्थीगण भगवानाराम, बजरंगलाल सागरमल पुत्रान ग्यालाराम जाति जाट निवासी ग्राम सीथल को ग्राम सीथल की कृषि भूमि ख० नं० 28, 60, 114, 194, 618, 631 व 1041 कुल 7 रकबा कुल 5.7900 है० स्थित है जिसमें आवेदिका का हिस्सा 1011 हैक्टर पर किये गये कब्जे को अवैध घोषित कर अप्रार्थीगणों को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा अप्रार्थीगण भगवानाराम आदि निवासी सीथल को उक्त कब्जाशुदा भूमि से अ० धारा 183 "बी" आर. टी. एक्ट 1955 के तहत बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू० अ० निरीक्षक बडागांव एंव पटवारी हल्का सीथल को आदेशानुसार बेदखली किये जाने के आदेश जारी हो। पत्रावली नियमानुसार होकर नम्बर से कम व दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.2.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुंझुनूं

तहसीलदार उदयपुरवाटी
(श्री ओंकारमल भूरण)
R.T.S.